न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : संजय कुमार मीना, RJS.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 36/2026 पुलिस थाना कानोता

(1)
जमानत आवेदन संख्या : 86/2026
सीआईएस संख्या : 85/2026

अजय सिंह उर्फ गोपी पुत्र स्व0 बलविन्द्र सिंह, उम्र 34 साल, निवासी मकान नंबर 189 ए, रूकमणी नगर, विजयपुरा रोड, पुलिस थाना जामडोली, जिला जयपुर पूर्व

...प्रार्थी/अभियुक्त

(2)
जमानत आवेदन संख्या : 89/2026
सीआईएस संख्या : 87/2026

अजय गुप्ता पुत्र पूरणमल गुप्ता, उम्र 27 साल, निवासी मकान नंबर 537 शुभम विहार, सुमेल रोड, पुलिस थाना जामडोली, जयपुर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान सरकार

...अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

अन्तर्गत धाराः– 331(4), 305(ए) बीएनएस

उपस्थित :–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल शर्मा, अभियुक्त अजय सिंह की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा, अभियुक्त अजय गुप्ता की ओर से।
3. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनीष शर्मा, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 24.04.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र पृथक–पृथक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिनका एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से एकसाथ निस्तारण किया जा रहा है। अभियुक्त अजय सिंह व अजय गुप्ता का जमानत आवेदन

पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा क्रमशः दिनांक 21.04.2026 व 23.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादी रमेशचंद ने एक उपस्थित थाना हो एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 13.01.2026 को समय करीब अपराह्न 4.00 बजे के लगभग वह अपने परिवार सहित ससुराल में प्रोग्राम में गया था। सुबह उसके पड़ोसियों ने फोन पर उसके मकान के ताले टूटे हुए होने की सूचना दिए जाने पर वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था तथा लोहे का बक्शा खुला पडा था तथा उसमें रखा ब्रिफकेस खुला था जिसमें रखे सोने की अंगूठी चार, चेन आठ, कुण्डल एक झुमकी 02 जोडी, बाली दो जोडी, पेडल एक जंतर एक दो जोडी नाक की लोंग व चांदी के पैरों के कडे, पाईजेब तीन जोडी, चिटकी दो जोडी, माला एक अंगूठी एक बच्चों के चांद सूरज व कडे तथा गुल्लक में रखे लगभग छह हजार रूपये तथा विदेश करंसी दुबई की 700 ड्राम तथा एक ड्राम से लेकर पच्चीस ड्राम तक सिक्के लगभग 100 नग, गायब थे, जिन्हें चोर चोरी कर ले गए। जिसके बाद उसने मकान में लगे कैमरे देखे तो रात्रि में समय 2.34 बजे के लगभग दो चोर मकान के बाहर गेट का ताला तोड़ते दिख रहे हैं.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कानोता में मुकदमा संख्या 36/2026 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण पर धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस में अपराध प्रमाणित पाया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के सह–अभियुक्त सूरज प्रजापत की जमानत हो चुकी है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त अजय गुप्ता के पिता का दिनांक 22.04.2026 को स्वर्गवास हो चुका है व दिनांक 24.04.2026 को तीये की बैठक है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नवयुवक हैं एवं न्यायिक अभिरक्षा में है जिनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण स्थाई निवासी हैं जिनके अन्यत्र भागने एवं गवाहों को डराने, धमकाने या बहलाने का का कोई अंदेशा नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध निम्न आपराधिक रिकार्ड**

होना पाया गया :–

अभियुक्त – अजय सिंह				
क्र0 सं0	मु0 सं0	धारा	थाना	नतीजा
1.	110/2021	379 भा.द.स.	तूंगा	––
2.	319/2020	364 क, 120 बी भा.द.स.	सांगानेर	––

अभियुक्त – अजय गुप्ता				
क्र0 सं0	मु0 सं0	धारा	थाना	नतीजा
1.	713/2016	457, 380 भा.द.स.	कानोता	382/2016
2.	119/2021	457, 380 भा.द.स.	तूंगा	79/2021
3.	753/2022	379 भा.द.स.	कानोता	291/2022
4.	946/2024	19/54 राज.आब.अधिनियम	कानोता	440/2024
5.	172/2022	457, 380 भा.द.स.	कानोता	चालान पैण्डिंग

6. उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह जाहिर होता है कि यह प्रकरण परिवादी रमेशचन्द द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, किंतु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियुक्त अजय गुप्ता के पिता का दिनांक 22.04.2026 को करंट लग जाने से मृत्यु हो जाने व दिनांक 24.04.2026 को तीये की बैठक प्रस्तावित होना बताया गया है तथा इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किया गया है जिससे इसकी पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में सह–अभियुक्त सूरज की जमानत हो चुकी है एवं प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अभियुक्तगण नवयुवक हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मुलजिमान का उक्त जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

7. फलतः अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ गोपी पुत्र स्व0 बलविन्द्र सिंह व अजय गुप्ता पुत्र पूरणमल गुप्ता की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) के मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को व्यक्तिगत नोटिस

हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम